पंजीकृत पावती कारण बताओं नोटिस

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

Government of India
Ministry of Mines
ndian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: पोर/चू.प- 319 Mine code 38GUJ21095 ID दिनांक:

सेवा में : सौराष्ट्र केमिकल्स
(निरमा लि. का प्रभाग)
बिरलासागर, पोरबंदर- 360 576, गुजरात
ई मेल : mines@nirma.co.in

विषय: गुजरात राज्य के जिले एवं तालुका- पोरबंदर में स्थित आपकी बोरिचा चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 101.17 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग/एम.सी.डी.आर निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.08.2024 को श्री राकेश पटेल, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया और उनके निराकरण के लिए आपको 45 दिन का समय देते हुए इस कार्यालय के समसंख्यक पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र दिनांक 30.08.2024 द्वारा आपको सूचित किया गया था –

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-317/2020-21 MDRD(N)/GNR दिनांक 02.03.2021 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना की सारणी संख्या 36 के अनुसार वर्ष 2023-24 में खान पर 60,000 टन Undersized Limestone का उत्पादन प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि अनुमोदित मात्रा से अधिक Undersized Limestone का उत्पादन किया गया है। (२) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2023-24 में खान पर 847 मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गई है।

०२. तथापि दर्शाए गए उल्लंघनों में सुधार करने के लिए आपके पत्र संख्या SC-NL/Quarry/IBM/1005/2024-25 दिनांक 14.09.2024 द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण से पाया गया कि उल्लंघन संख्या 11(1)**(२)** का उल्लंघन यथावत जारी है क्योकि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गयी है।

०३. यह आपके पुनः ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं निलंबित की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अत: आपको इस पत्र के जारी होने की तिथि से ३० (तीस) दिनों की अवधि में कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए क्यों नहीं आप पर अभियोग चलाया जाए? अथवा/एवं खनन क्रियाएं निलंबित की जाएं? अथवा/एवं अन्य उचित कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी/ राज्य सरकार को पत्र लिखा जाए?

०५. कृपया नोट करें कि इस संदर्भ में आपको और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

०६. यह कारण बताओं नोटिस क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by Manish Gupta
Date: 07-11-2024 10:17:30

(मनीष गुप्ता)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो